न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/171/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री मदनसिंह यादव पुत्र स्व.ESM हीरासिंह यादव जाति–अहीर, गांव व पोस्ट–गण्डाला, तहसील–बहरोड़ (अलवर) राज0–301709		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)

प्रवेश तिथि 27.11.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक: 19.12.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 11.10.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विरासत नामान्तरकरण के संबंध में विविध 11 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक द्वारा प्रा.पत्र दि. 11.10.2018 के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांक: लोक सूचना/2018/30 दिनांक: 30.11.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा जवाब पत्र दिनांक: 30.11.18 के माध्यम से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा पत्रांक: 1981 दिनांक: 06.11.18 के माध्यम से प्रकरण की विषयवस्तु तहसीलदार नीमराना से संबंधित होने के कारण अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन उन्हें अन्तरित किया गया है।
10. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से तहसीलदार नीमराना द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना अभी तक प्रेषित नहीं की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

11. अस्तु, प्रथम अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 11.10.2018 में वांछित सूचना यदि उनके अभिलेख पर उपलब्ध हो तो अविलम्ब अधिप्रमाणित कर उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें। यदि सूचना उनके अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हो तो भी बिन्दुवार तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ-साथ तहसीलदार नीमराना (अलवर) को भी प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)
ALWAR (RAJ.)

(ओ.पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)